कोयला आयात हेतु विद्युत उत्पादन में संलग्न विद्युत क्षेत्र विद्युत संस्थाओं को क्रेडिट लाइन

1. **उद्देश्य**

   विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में संलग्न सभी पात्र विद्युत संस्थाओं को गैर-रिवोल्वींग रूपया लघु अवधि वित्तपोषण करना जिससे कोयले के आयात की तुरंत आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

2. **पात्र विद्युत संस्थाएं**

   - विद्युत उत्पादन में संलग्न ओपीएस के अनुसार सभी पात्र विद्युत संस्थाएं
   - पीएफ़सी को चूककर्ता न घोषित वर्तमान ऋणकर्ता
   - निजी क्षेत्र विद्युत संस्थाएं साथ ही जो वर्तमान में ऋणकर्ता नहीं हैं वे विद्युत संस्थाएं पात्र होंगी बशर्ते कि विद्युत संस्था और परियोजना आकलन हो।

3. **सहायता**

   गैर-रिवोल्वींग रूपए क्रेडिट लाइन के अपेक्षित स्टॉक स्तर (3 माह से अधिक नहीं) के रखाव के लिए कंपनी की आयात आवश्यकता पर आधारित केस-टू-केस आधार पर निर्धारित होंगी।

   इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, कोयला आयात के लिए सीआईएफ़ मूल्य के 100 % तक होगी। योजना के अंतर्गत ऋण, ऋणकर्ताओं की निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं तक आगे सीमित रहेंगी।

4. **सहायता का प्रकार और अवधि**

   क्रेडिट लाइन एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत होंगी। क्रेडिट लाइन के अंतर्गत प्रत्येक स्वीकृत ऋण 180 दिनों के भीतर पुनः भुगतान किए जाएंगे।

5. **ब्याज दर और अन्य प्रभार**

   समय-समय पर यथा अधिसूचित।

6. **संवितरण तंत्र**

ऋणकर्ता को सूचना के अधीन पूर्तिकर्ता/ ट्रेडर को प्रत्यक्ष भुगतान। आयात हेतु क्रेडिट लाइन के खुलने की स्थिति में, निगम देय तारीख पर क्रेडिट लाइन ओपनिंग बैंक को भुगतान करेगा।

7. पुनर्भुगतान अवधि

प्रत्येक ट्रैंच का पुनर्भुगतान बुलेट/ किश्तों में होगा और पुनर्भुगतान अवधि/ किश्तों की संख्या आवश्यकता, शिपमेंट अवधि और ऋणकर्ता के वसूली चक्र पर आधारित केस-टू-केस आधार पर निर्धारित होंगी। प्रत्येक निकासी के समय पर, ऋणकर्ता को इस निकासी के लिए लागू होने वाली पुनर्भुगतान अवधि को दर्शाना होगा। तथापि पुनर्भुगतान अवधि को संवितरण तारीख से एक ट्रैंच के लिए 180 दिनों के ऊपर नहीं होना होगा।

8. प्रतिभूति

राज्य/ केंद्रीय क्षेत्र विद्युत संस्थाएं

(i) त्रिपक्षीय एस्क्रो खाता

(ii) चालू परिसंपत्तियों/ निर्धारित परिसंपत्तियों या सरकारी गारंटी पर पारी पास्सू आधार पर प्रथम प्रभार।

निजी क्षेत्र विद्युत संस्थाएं

चालू परिसंपत्तियों/ निर्धारित परिसंपत्तियों और ट्रस्ट एवं रीटेंशन एकाउंट पर पारी पास्सू आधार पर प्रथम प्रभार।

कोलेट्रल प्रतिभूति (आकलन/ स्वीकृति के दौरान निम्नलिखित में से एक या अधिक निर्धारित होने हैं)

(i) निगमित गारंटी

(ii) निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी

(iii) कंपनी के मुख्य प्राप्यों पर एस्क्रो

(iv) निगम को स्वीकृत कोई अन्य प्रतिभूति